कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत छतरपुर म.प्र.

क्रमांक /   / जि.पं. / वाहन / 09   छतरपुर दिनांक–

–वाहन किराए पर लेने हेतु निविदा आमंत्रण सूचना–

म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से प्राप्त स्वीकृति अनुसार जिला पंचायत छतरपुर के कार्यालयीन उपयोग हेतु मासिक दर पर निम्न वाहनों की आवश्यकता है:–

1. एक स्कार्पियो डीलक्स
2. एक ईनोवा
3. एक बोलेरो
4. एक इण्डिका

उक्त सभी वाहन चालक सहित किराए पर लिए जाने हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। (वाहन तीन वर्ष से अधिक पुराना न हो)।

निविदा प्रपत्र मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत छतरपुर के कार्यालय से विज्ञापन दिनांक से कार्यालयीन दिवस कार्यालयीन समय में अंतिम दिनांक 27.07.09 को दोपहर 2 बजे तक रूपए 100/– शुल्क जमा कर प्राप्त/जमा किए जा सकेंगे तथा निविदा प्रपत्र वेबसाइट www.chhatarpur.nic.in से फार्म डाउनलोड किया जा सकता है तथा डाउनलोड किए गए फार्म के साथ 100/– रूपए ड्राफ्ट लगाना आवश्यक होगा। प्रत्येक वाहन के लिए पृथक–पृथक आवेदन पत्र देना आवश्यक है। निविदा संबंधी सूचना कार्यालय के सूचना पटल पर देखा जा सकता है। निविदा के साथ रूपए 7000/– अर्नेस्ट मनी डिपाजिट का बैंक ड्राफ्ट जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत छतरपुर को देय हो, भी जमा करना होगा। प्राप्त निविदाएं दिनांक 27.07.09 को दोपहर 4 बजे खोली जावेंगी।

निविदा की अन्य शर्तें जिला पंचायत छतरपुर के कार्यालय एवं वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती हैं। निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का सर्वाधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत छतरपुर के पास सुरक्षित रहेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत छतरपुर म.प्र.

जिला पंचायत "विकास कंट्रोल रूम" टोल फ्री नम्बर 18002331133

निविदा प्रपत्र का मूल्य रूपए 100/—
निविदा प्रपत्र कमांक..............................
निविदाकार का नाम..............................
हस्ताक्षर जारीकर्ता..............................

कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत छतरपुर म.प्र.

—: निविदा प्रपत्र :—

जिला पंचायत छतरपुर हेतु किराये पर वाहन प्रदान करने के लिए मेरे द्वारा निम्नानुसार दरें प्रस्तुत की जाती हैं:—

1. निविदाकार का नाम..
2. वाहन का प्रकार..
3. वाहन का कमांक..
4. वाहन का विवरण मॉडल/कय का दिनांक..
5. निविदाकार द्वारा प्रस्तुत मासिक किराया...
6. निविदाकार द्वारा संलग्न अर्नेस्ट मनी डिपाजिट का विवरण...

   अ. बैंक का नाम..

   ब. बैंक ड्राफ्ट कमांक ....

   स. दिनांक..

   द. राशि...

7. निविदाकार द्वारा रजिस्ट्रेशन/बीमा की फोटो प्रति...
   संलग्न की जावे।

मुझे निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न शर्तें मान्य हैं।

हस्ताक्षर निविदाकार

निविदाकार का नाम
एवं पूर्ण पता दूरभाष कमांक सहित

कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत छतरपुर म.प्र.

जिला पंचायत छतरपुर म.प्र. द्वारा निम्नानुसार शर्तों के तहत वाहन किराए पर लिया जाना है:–

जिला पंचायत छतरपुर हेतु वाहन किराए पर लिए जाने की शर्तें

1. वाहन स्कार्पियो (व्हाईट कलर), ईनोवा, बोलेरो एवं इण्डिका 3 वर्ष से पुरानी नहीं होनी चाहिए।
2. जो व्यक्ति नया वाहन क्रय करना चाहते हैं वे भी निविदा प्रस्तुत कर सकते हैं।
3. निविदा स्वीकृत होने के उपरांत वाहन प्रदाता से अनुबंध करते समय सुरक्षा निधि के रूप में रूपए 10000/– की राशि जमा कराई जावेगी जो कि अनुबंध समाप्ति पर वाहन प्रदाता को वापसी योग्य होगी। यदि निविदाकार चाहे तो अर्नेस्ट मनी डिपाजिट की राशि सुरक्षा निधि के रूप में समायोजन कर जमा की जा सकती है।
4. वाहन के अनुबंध की अवधिएक वर्ष की रहेगी जो कि एक वर्ष उपरांत दोनों पक्षों की सहमति से बढ़ाई जा सकेगी।
5. वाहन की प्रति लीटर डीजल की औसत खपत 10 कि.मी. से कम नहीं होगी। इससे कम औसत होने पर वाहन प्रदाता पर क्षतिपूर्ति की जवाबदारी होगी।
6. किराए की अवधि में डीजल को छोड़कर वाहन के संधारण, होने वाली टूट–फूट, बैटरी, टायर–ट्यूब आदि के व्यय की संपूर्ण जिम्मेदारी वाहन प्रदाता की होगी।
7. यात्रा के दौरान वाहन दुर्गम स्थान में भी ले जाया जाएगा। वाहन के ड्राईवर का यह कर्तव्य होगा कि उपयोगकर्ता अधिकारी के आदेशों का पालन करें।
8. वाहन सेल्फ स्टार्ट होना आवश्यक है। वाहन में नई स्टेपनी अनिवार्य रूप से हो तथा चारों पहिए के टायर–ट्यूब अच्छे होना चाहिए व माइलोमीटर हमेशा चालू हालत में होना अनिवार्य है। इसकी जिम्मेदारी वाहन प्रदाता की होगी।
9. वाहन प्रदाता को हर समय अपने ड्राईवर को कार्य के लिए तैयार रहने का आदेश देना होगा।
10. वाहन मय ड्राईवर के उपलब्ध कराया जाएगा। जिसके पास नियमानुसार वाहन चलाने का वैध ड्राईविंग लाइसेंस होना आवश्यक है। ड्राईवर का वेतन व भत्ता व अन्य खर्चे जिससे वाहन चालक का दैनिक एवं यात्रा भत्ता भी शामिल, वाहन प्रदाता स्वयं वहन करेगा।
11. वाहन प्रदाता के ड्राईवर के ड्राईविंग लाइसेंस, वाहन का बीमा, रजिस्ट्रेशन इत्यादि से संबंधित कागजात हमेशा वाहन में रखने आवश्यक होंगे। वाहन टैक्स पेड एवं वाहन प्रदाता के स्वामित्व में होना चाहिए।
12. वाहन के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद होने पर उसके निराकरण का दायित्व वाहन प्रदाता का होगा एवं यदि कोई वैधानिक क्षतिपूर्ति न्यायालय द्वारा तय की जाती है तो उसकी संपूर्ण जवाबदारी वाहन प्रदाता की होगी।
13. रास्ते में वाहन खराब (फेल) होने की स्थिति में उपयोगकर्ता अधिकारी को सामान्यतः 2 घंटे में सुधार कराकर उपयोग हेतु वाहन उपलब्ध कराना होगा। इससे 2 घंटे से अधिक वाहन खराब रहने पर उस दिन का किराया नहीं दिया जाएगा। वाहन को खराब (फेल) होने के स्थान से गैराज तक लाने का दायित्व वाहन प्रदाता करेगा।

14. वाहन प्रदाता अपने स्वयं के उपयोग के लिए यदि वाहन चाहता है तो उसे 15 दिवस पूर्व उपयोगकर्ता अधिकारी को लिखित में आवेदन करना होगा। यदि वाहन बिना अनुमति के स्वयं के उपयोग में लेता है तो वाहन प्रदाता कार्यालय हेतु अन्य वाहन की व्यवस्था करेगा अन्य वाहन की व्यवस्था प्रदाता द्वारा नहीं करने पर यदि कार्यालय द्वारा निर्धारित दर से अधिक दर पर वाहन लिया जाता है उस स्थिति में अंतर की राशि को वाहन प्रदाता को देय राशि से समायोजित कर ली जाएगी।

15. वाहन प्रदाता को उपयोगकर्ता अधिकारी की मांग अनुसार वाहन प्रदाय करना अनिवार्य होगा। मांग अनुसार लगातार तीन दिवस तक वाहन प्रदाय नहीं किए जाने एवं शर्तों का उल्लंघन किए जाने पर उसके द्वारा जमा कराई गई प्रतिपूर्ति राशि कार्यालय द्वारा जप्त की जा सकेगी। यदि अनुबंध अवधि के दौरान किसी कारणवश वाहन प्रदाता वाहन उपलब्ध कराने में असमर्थ हो जाता है तो उसे एक माह पूर्व सूचना देनी होगी।

16. वाहन चालक द्वारा संचालित वाहन उपयोग करने वाले अधिकारी व वाहन प्रभारी से प्रतिदिन मीटर रीडिंग के अनुसार की गई यात्रा का प्रमाणीकरण लांगबुक में कराना होगा। प्रमाणित लांगबुक की प्रतिलिपि देयक के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

17. माइलोमीटर की गड़बड़ी अथवा अन्य किसी कारण से निर्धारित दूरी से अधिक दूरी दर्शाए जाने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा सड़क मार्ग को निर्धारित दूरी अनुसार मान्य किया जाएगा।

18. वाहन के स्थानीय या मुख्यालय से बाहर के उपयोग में न्यूनतम दूरी का कोई भी बंधन नहीं होगा।

19. प्रत्येक निविदाकार को नियंत्रण अधिकारी/स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा भविष्य में जारी किए जाने वाले तत्संबंधी आदेश मान्य होंगे।

मुख्य कार्यपालिन अधिकारी
जिला पंचायत छतरपुर म.प्र.